न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 166/25 (वाद)
GCMS No. : 2025/345

1. श्री मोता पिता श्री रता जाति भील, आयु 42 वर्ष, निवासी विकरणी, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. श्री भानु भील पिता श्री खुमा भील, जाति भील आयु वयस्क, निवासी खादरा तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती कालीबाई उर्फ कालीदेवी पत्नी स्वर्गीय श्री लाला जाति मील, आयु वयस्क, निवासी धोलाखुंटा, तहसील मावलीर, जिला–उदयपुर (राज०)
3. नर्बदा पुत्री स्वर्गीय श्री लाला, जाति भील, पत्नी श्री सुरेश भील, आयु वयस्क, निवासी खादरा तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री कैलाश गमेती पिता श्री हरिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी बगावतों की भागल छोटी सरे चीरवा उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री किशन पिता श्री लच्छीया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी विकरणी विजनवास, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
6. गीता पुत्री लच्छीया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी निवासी खादरा तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
7. नोजकीबाई उर्फ नोजी पुत्री श्री गेरीया उर्फ गमानिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी बेरण तहसील नाथद्वारा, जिला–राजसमंद (राज०)
8. श्री पप्पुलाल पिता श्री लच्छीया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी विकरणी तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
9. श्री पुष्कर पिता श्री हीरालाल जाति भील, आयु वयस्क, निवासी विकरणी, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
10. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री हमेरा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी बरवा विकरणी, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
11. मथरूबाई पुत्री श्री गेरीया उर्फ गमाना जाति भील, आयु वयस्क, निवासी रायजी का गुड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
12. श्रीमती मांगीबाई पत्नी श्री हीरालाल जी भील, आयु वयस्क, निवासी खेमली स्टेशन, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

13. श्री मांगीलाल पिता श्री लच्छीया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी विकरणी तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
14. श्री मिठुलाल पिता श्री गेरीया उर्फ गमाना जाति भील, आयु वयस्क, निवासी विकरणी, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
15. रूपाबाई पुत्र श्री गेरीया उर्फ गमाना जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पलानाखुर्द, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
16. लेरकीबाई पुत्री श्री गेरीया उर्फ गमाना जाति भील, आयु वयस्क, निवासी रायजी का गुड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
17. श्री वागा पिता श्री भगा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी ढिंकली तहसील बड़गाँव, जिला–उदयपुर (राज०)
18. हेमलीबाई पुत्री श्री गेरीया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी बेरण, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
19. केसर पुत्री श्री वेणा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घंटाघर उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)
20. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिघारी) घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री नरेन्द्र विरवाल, अधिवक्ता वादी।
2. श्री नरेश डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 31.10.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा विकरणी, पटवार हल्का विजनवास, मू०अ०नि०क्षेत्र खेमली, तहसील घासा, जिला–उदयपुर के आराजी नम्बर 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 किता 14 कुल रकबा 2.9138 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 18 के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि मुझ वादी के नाम 1/36 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/18 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 5 से 8 प्रत्येक के नाम 1/16 हिस्से से, प्रतिवादी सख्या 7, 11, एवं 14 से 16 व 17 प्रत्येक के नाम 1/28 हिस्से से, एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

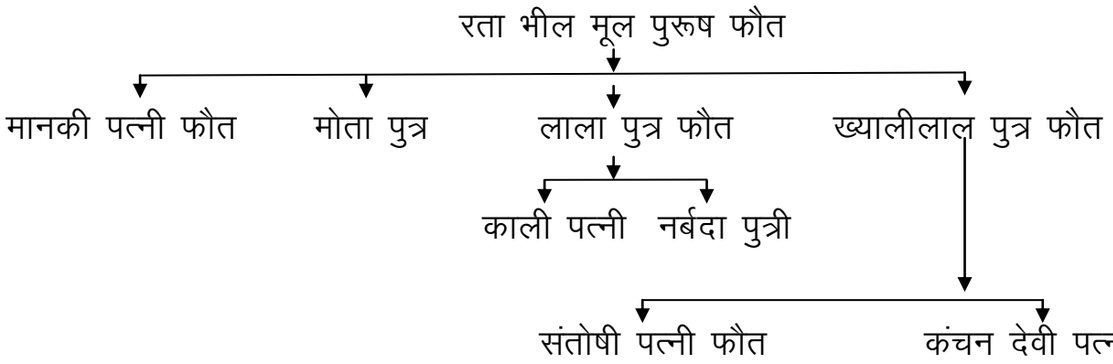

प्रतिवादी संख्या 9 व 12 प्रत्येक के नाम 1/56 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 10 के नाम 23/180 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 13 के नाम 13/720 हिस्से से, एवं प्रतिवादी संख्या 17 के नाम 1/4 हिस्से से खातेदारी में दर्ज है। एवं आराजी नम्बर 15, 16, 17, 18, 19, 21 किता 6 कुल रकबा 0.8742 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/18 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/42 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 10 के नाम 37/63 हिस्से से, एवं प्रतिवादी संख्या 19 के नाम 1/3 हिस्से से खातेदारी में दर्ज है। मुझ वादी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

उपरोक्त सजरे में वर्णित अनुसार मूल पुरूष रता भील जिनके विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण में मानकी पत्नी, मोती, लाला व ख्यालीलाल पुत्र हुए जिनमें मुझ वादी की माता मानकी का देहावसान वर्ष 2014 में व भाई लाला का देहावसान वर्ष 2013 व ख्यालीलाल का देहावसान वर्ष 2017 में हो चुका है। मैं वादी रता का जायन्दा पुत्र होकर विधिक वारिस हूँ। लाला के विधिक वारिस में कालीदेवी पत्नी एवं नर्बदा पुत्री जो इस वाद में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है। इसी तरह ख्यालीलाल के विधिक वारिस में संतोषी पत्नी जिसका देहावसान हो चुका है एवं दूसरी पत्नी कंचनदेवी है। मुझ वादी के भाई लाला के कोई जायन्दा पुत्र सन्तान उत्पन्न नहीं हुई। लाला की मृत्यु से 4–5 वर्ष पूर्व ही लाला की पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 जगत निवासी केसुलाल भील के यहाँ नाते चली गई एवं केसुलाल के साथ पाँच वर्ष तक नातायत पत्नी बनकर रही। जब वादी का भाई लाला जब जीवित था वहाँ से सामाजिक रिति रिवाजानुसार झगड़ा लेकर आए व लाला की पुत्री प्रतिवादी संख्या 3 को भी साथ लेकर आए ततपश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम धोलाखुंटा निवासी मोहन गमेती के यहाँ नाते चली गई और वर्तमान में भी मोहन गमेती के साथ ग्राम धोलाखुंटा में ही नातायत पत्नी बनकर निवासरत है। लाला लम्बे समय तक अस्वस्थ्य रहने से लाला की सार सम्भाल [illegible] सुश्रषा, एवं ईलाज का सारा खर्चा वादी द्वारा ही किया गया एवं लाला की मृत्यु होने पर सभी सामाजिक कार्यकम वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा ही सम्पन्न किए गए जिससे जाति समाज व गाँव के मौतबीरान की उपस्थिति में लाला के हक हिस्से की कृषि भूमि वादी के स्वामित्व, हक हिस्से में रखी जो मुझ वादी के स्वामित्व एवं कब्जे उपभोग में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 द्वारा मुझ वादी को रंज व नुकसान पहुँचाने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 से मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण विलेख मुझ वादी के हितों के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है। इस कारण से उक्त वादग्रस्त भूमि में घोषणा करा कानूनन बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी हूं। वर्तमान समय में भी प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कोई अधिकार अथवा कब्जा नहीं है। उक्त कृषि भूमि नुमाईशी तौर पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 रेकर्ड व मौके की स्थिति को परिवर्तित करने पर उतारू है, जिससे मुझ वादी को भारी अशोधनिय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा, हितों की रक्षा के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है. स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

2. यह कि वाद कारण दिनांक 10–06–2025 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर मुझ वादी के स्वामित्व कब्जे अधिकार आधिपत्य की भूमि में हस्तक्षेप उत्पन्न कर विवाद उत्पन्न किया एवं वादवर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को परिवर्तित करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ, व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

3. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री प्रदान करायी जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हटायी जाकर उक्त परिशिष्टों की कृषि भूमि मुझ वादी के नाम खातेदारी हक से घोषित करायी जाकर राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदल कराया जावे। वर्तमान राजस्व रेकर्ड मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 18 के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि मुझ वादी के नाम 1/36 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/18 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 8 प्रत्येक के नाम 1/16 हिस्से से, प्रतिवादी सख्या 7, 11 एवं 14 से 16 व 18 प्रत्येक के नाम 1/28 हिस्से से, एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 12 प्रत्येक के नाम 1/56 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 10 के नाम 23/180 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 13 के नाम 13/720 हिस्से से, एवं प्रतिवादी संख्या 17 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

1/4 हिस्से से खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का मुझ एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अर्थात अच्छी में से अच्छी एवं खराब में से खराब भूमि का कानूनन बंटवाड़ा कराया जाकर मुझ वादी हक हिस्से की भूमि को राजस्व रेकर्ड में पृथक से स्वतंत्र खातेदारी हक से दर्ज करायी जाकर लगान का अलग से बरफाल कराया जावे। वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी उक्त वर्णित मौरूसी पैत्रक कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, प्रतिवादीगण रेकर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाए रखे।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात मौजा विकरणी, पटवार हल्का विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित होना स्वीकार होकर कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा वर्तमान में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हक से दर्ज है और उक्त हक हिस्से पर मैं प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूँ जिसमें वादी का कोई हक अधिकार नही रहा हैं। वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नही रहा हैं बल्कि उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम दर्ज रहा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2, 3 को उनके पति/पिता से विरासत में प्राप्त हुआ था तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 को रूपयों की आवश्यकता होने से उन्होने अपने हक हिस्से की तमाम कृषि भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए मुझ क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की और उनके हक हिस्से की कृषि भूमि पर मुझ क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 को काबिज करा दिया जिससे वक्त खरीद से विक्रेतागण के हक हिस्से की भूमि पर मैं प्रतिवादी संख्या 1 निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा हूँ और रेवेन्यु रेकर्ड में भी विक्रेतागण के हक हिस्से की कुलिया कृषि भूमि मुझ क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर रद्दोबदल हो चुकी है अर्थात मुझ क्रेता का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित हो चुका हैं। मुझ प्रतिवादी ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए उक्त भूमि को इसके खातेदारों से क्रय की है जो वादी के कहने मात्र से नुमाईशी नही हो सकता है, न ही वादी के मुकाबले बेअसर व शुन्य है। विधि की पूर्ण प्रक्रियाओं के अनुसरण में निष्पादित विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से विक्रीत भूमि का भौतिक कब्जा क्रेता अर्थात मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को देने का कथन किया गया है जो अपने आप में पर्याप्त कथन है क्योंकि विधि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

पूर्ण प्रक्रियाओं के अनुसरण में निष्पादित विक्रय पत्र में भौतिक आधिपत्य लेने–देने, प्रतिफल का भुगतान होने के तत्पश्चात् पंजीयन का प्रावधान होता है। जैसाकि सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 54 में विक्रय की परिभाषा को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। वादी का वाद फर्जी एवं मिथ्या कथनों पर आधारित है जिससे वादी किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है, न ही माननीय न्यायालय ऐसे फर्जी एवं बनावटी कथनों के आधार पर खातेदार अधिकार की घोषणा कर सकती हैं। वादी एकतरफ तो लाला के हिस्से की जमीन उसके कब्जे में होना बता रहा है और दूसरी तरफ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने का कथन कर रहा है जो दोनो ही कथन परस्पर विरोधाभासी है जिससे भी स्पष्ट हो जाता है कि वादी की नियत में क्या हैं। इस प्रकार वादी उक्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कराने का अधिकारी नही हैं, न ही ऐसी कोई आवश्यकता है क्योंकि मौके पर बंटवाड़ा वर्षो पूर्व ही हो चुका हैं। अंत में निवेदन किया की वादी का वाद गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

5. काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात वर्तमान राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर मुझ प्रतिवादी के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार अंकित है। जिसके संबंध में निवेदन किया की मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर मेरे पक्ष में इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात में मुझ प्रतिवादी के नाम दर्ज हिस्सा कृषि भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार विधिक रूप से विभाजन कराया जाकर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा भूमि को राजस्व रेकर्ड में पृथक रूप से दर्ज कराया जाकर नक्शे में पैमुद कराया जायें एवं इसी अनुपात में लगान का बरफाल भी फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी में वादी मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ प्रतिवादी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, बेदखल नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के [illegible] करावें, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

6. विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा वादी के वाद के कथनो का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की उक्त वर्णित आराजीयात मौजा विकरणी, पटवार हल्का विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित होना स्वीकार होकर कथन है कि हम प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हक से दर्ज है और उक्त हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं और अब हम प्रतिवादी संख्या 2, 3 का इस कृषि भूमि से कोई सरोकार नही रहा हैं, न ही इस हक हिस्से से वादी का कोई सरोकार रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 2 स्वर्गीय लाला की विवाहिता पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 स्वर्गीय लाला की जायन्दा पुत्री है अर्थात स्वर्गीय लाला की प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क्रमशः पत्नी एवं पुत्री होकर विधिक वारिस एवं उत्तराधिरीगण हैं। वादी स्वयं ने इस सजरे में हम प्रतिवादी संख्या 2, 3 को स्वर्गीय लाला की पत्नी एवं पुत्री होना दर्शाया है और विधिक वारिसान होने की पुष्ठि की हैं। यह बात सही है कि लाला के कोई जायन्दा पुत्र संतान उत्पन्न नही हुई थी। लेकिन यह कथन सरासर गलत एवं मनगढन्त है कि लाला के जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 2 अन्यत्र नाते चली गई थी। क्योंकि स्वर्गीय लाला की प्रतिवादी संख्या 2 विवाहिता पत्नी है और प्रतिवादी संख्या 3 जायन्दा पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 अपने पति की मृत्यु के पूर्व एवं बाद लाला की विवाहिता पत्नी के रूप में ही जानी पहचानी जाती हूँ और लाला के पूरे जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 2 पत्नी की हैसियत से साथ रही और दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वाह किया गया तथा लाला की मृत्यु के बाद भी प्रतिवादी संख्या 2 ने पत्नीधर्म का निर्वाह किया और प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने दायित्वों का भली प्रकार से निर्वाह किया, सभी क्रियाकर्म सम्पन्न कराये और सारा खर्चा वगैरा किया गया था। लाला की मृत्यु उपरान्त हम प्रतिवादी संख्या 2, 3 ही स्वर्गीय लाला की विधिक वारिसान होने से रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पन्न की और हमारे पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया और इसके लिये हम प्रतिवादी संख्या 2, 3 कानूनी तौर पर हकदार भी थी। वादी येनकेन प्रकारेण हमारे पिता/पति के हिस्से की जायदाद को हथियाना चाहता है इसी गरज से वादी ने बड़ी चालाकी एवं चतुराई से लाला की सेवा चाकरी करने एवं ईलाज आदि का खर्चा वहन करने का मनगढन्त कथन करते हुए अपने नाजायज उद्देश्य को [illegible] करने की नाकाम कोशिश की है। हम प्रतिवादी संख्या 2, 3 को रूपयों की आवश्यकता होने से हमने अपने हक हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

की तमाम कृषि भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की और हमारे हक हिस्से की कृषि भूमि पर क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 को काबिज कराया जिससे वक्त खरीद से हमारे हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है और रेवेन्यु रेकर्ड में भी हमारे हक हिस्से की कुलिया कृषि भूमि क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर रद्दोबदल हो चुकी है अर्थात क्रेता का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित हो चुका हैं। हमने हमारे वैध अधिकारो के तहत अपनी खातेदारी की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 को बेचा और काबिज कराया है जो किसी भी अवस्था में शुन्य एवं निष्प्रभावी नहीं है। वादी किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है, न ही माननीय न्यायालय ऐसे बनावटी कथनों के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा कर सकती हैं।

7. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी ने उक्त वाद में वर्णित वादगत कृषि भूमि अर्थात लाला के हिस्से की भूमि को लाला की सेवा चाकरी, सार सम्भाल करने के बदले में जाति समाज व गांव के लोगों द्वारा देने का कथन करते हुए इसे अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने के लिये हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। जबकि लाला की वारिस प्रतिवादी संख्या 2, 3 क्रमशः पत्नी एवं पुत्री है जिन्हे लाला का हिस्सा उसकी मृत्यु उपरान्त विरासत से प्राप्त हुआ और प्रतिवादी संख्या 2, 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वाद वर्णित कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए विक्रय कर मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 को भौतिक आधिपत्य दे दिया है जिससे वाद वर्णित कुलिया कृषि भूमि पर क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 अपने परिवारजन सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए उक्त कृषि भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है जिसमें वादी का कोई हक अधिकार, कब्जा कुछ भी नही है। लाला की प्रतिवादी संख्या 2 विवाहिता पत्नी है जो लाला के जीवनकाल में लाला की पत्नी के रूप में लाला के साथ रही थी और अपने पत्नीधर्म का निर्वाह किया था और लाला की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 2 ने ही सामाजिक परम्परा अनुसार सभी रस्मो रिवाजों को पूरा कराया और सारा खर्चा प्रतिवादी संख्या 2 ने ही किया था। वादी द्वारा लाला की कभी भी सेवा चाकरी या अन्य कोई काम नहीं किया गया था और लाला की मृत्यु उपरान्त भी इसके द्वारा कोई क्रियाकर्म सम्पन्न नही किये थे। लाला उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

जीवनकाल में उसके हक हिस्से की भूमि पर साधिकार अपनी पत्नी के साथ काबिज होकर उपयोग उपभोग करता रहा जो हक हिस्सा लाला के मरने के बाद उसकी पत्नी व पुत्री को प्राप्त हुआ है और विरासत से खातेदारी हक में दर्ज हुआ जिसका प्रतिवादी संख्या 2, 3 को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। वादी का इस जमीन पर कभी कोई कब्जा या हक अधिकार नही रहा है फिर भी वादी ने उक्त जमीन को हड़पने की नियत से मनगढन्त एवं मिथ्या कथन करके यह दावा कर दिया हैं। जबकि वादी को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। ऐसी अवस्था में वादी का वाद काबिल निरस्तनीय है।

8. यह कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बेचान की है एवम् कब्जा सिपुर्द किया। ऐसी अवस्था में यह विक्रय पत्र किसी भी दृष्टि से वोईड नही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वोइडेबल दस्तावेज हो तो उसके लिये वादी को सिविल न्यायालय में जाकर के पहले इस दस्तावेज (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र) को केन्सल कराने की कार्यवाही करानी चाहिए क्योंकि किसी भी विक्रय पत्र को केन्सल कराने का अधिकार किसी भी दृष्टि से रेवेन्यू कोर्ट को नही है ऐसी अवस्था में जब तक यह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम सिविल न्यायालय से केन्सल नही हो जावे तब तक वादी को इस न्यायालय में वाद लाने का अधिकार नही है और ऐसे वाद बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आता है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नही होता है इसलिये भी वादी का यह वाद चलने योग्य नही है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अनेको जगहो पर अंको में ईबारत लिखी गई है किन्तु वादी ने अंको के साथ शब्दो में इन ईबारत का अंकन नही किया है जो कि आज्ञापक प्रावधान के विपरित है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 (3) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अभिवचन में तारीखे, राशिया और संख्याएं अंको और शब्दों में भी अभिव्यक्त की जाएंगी। जिससे भी वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होकर पोषणीय नही है और इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य हैं। अंत में निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा०दी० स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर सव्यय खारिज फरमाया जावें तथा वादी ने जानबुझ कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध गलत वाद पेश किया है इसलिये हर्जाने स्वरूप प्रतिवादीगण को 50,000/— पचास हजार रूपया बतौर खर्चा दिलाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

9. अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 2 कालीबाई उसके पति स्व.लाला के जीवनकाल में ही जगत निवासी केसुलाल भील के यहा पर नाते चली गई थी एवं केसुलाल के साथ पांच वर्ष तक नातायत पत्नि बनकर रहीं। वहां से प्रार्थी का भाई लाला जब जीवित था जो जगत से सामाजिक रितिरिवाज अनुसार झगडा लेकर लाये और साथ में प्रतिवादी संख्या 2 नर्बदा जो उस समय मात्र 6 वर्ष की थी। उस समय लाला की पुत्री होने के कारण लेकर के आये और उसके लाने के कुछ समय पश्चात् वादी के भाई लाला गंभीर बिमारी से ग्रसित हो गया जिसका सम्पूर्ण अस्पताल का खर्च आदि वादी द्वारा किया गया एवं उक्त गंभीर बिमारी के कारण वादी के भाई लाला का स्वर्गवास 2013 में हो गया। जिसका सम्पूर्ण सामाजिक कार्यक्रम आदि का खर्चा वादी द्वारा किया गया। जिससे परिवार, समाज के मौतबिरों द्वारा वादी के भाई लाला की बीमारी में सेवा–चाकरी करने एवं बीमारी का सम्पूर्ण खर्च उठाने तथा वादी के भाई लाला के काज करयावर आदि सामाजिक कार्य में खर्चा करने के कारण लाला की हिस्से की जमीन को वादी को समाज एवं परिवार के मौतबिरो की उपस्थिति में दे दिया गया तभी से वादी लगभग 23 वर्षों से उक्त कृषि भूमि पर काबिज हो कास्त कर रहा है एवं उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी के भाई लाला के हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 नर्बदा जो वादी के भाई लाला की पुत्री है उसका वादी के भाई लाला के जाने के बाद सम्पूर्ण भरण–पोषण किया गया एवं 19 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह वादी द्वारा सम्पूर्ण कराया गया। प्रतिवादी संख्य्या 3 के विवाह का सम्पूर्ण खर्च भी वादी द्वारा ही वहन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 कालीबाई वादी के भाई लाला के जीवनकाल में जगत निवासी केसुलाल भील के यहां पर नाते चली गई थी और नाते जाने के कारण वादी एवं वादी के भाई लाला ने जगत के केसुलाल गमेती से सामाजिक रितिरिवाज अनुसार झगडा भी लेने गये और उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 पांच वर्षों तक जगत के केसुलाल गमेती की नातायत पत्नी बनकर रही उसके पश्चात् वह धोलाखुंटा के मोहन गमेती के यहां पर नाते चली गई और वर्तमान में वह धोलाखुटा के मोहनलाल गमेती के नातायत पत्नी बनकर रह रही है और उसकी नातायत पत्नि होने के बावजुद प्रतिवादी संख्या 2 यह जानते हुए कि अब लाला की धर्मपत्नि नहीं हु फिर भी लाला की कृषि भूमि को दलालों की बातों में आकर रूपयों के लालच में राजस्व रिकार्ड में गैरकानुनी इंदा करवाकर बेच दिया। वादी द्वारा लाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

की गंभीर बीमारी में इलाज करवाने एवं लाला की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण सामाजिक क्रियाकर्म करने तथा लाला की पुत्री प्रतिवादी संख्या 3 नर्बदा का 6 माह के पश्चात् भरण–पौषण करने तथा उसको 19 वर्ष की अवस्था में विवाह करवाने में वादी द्वारा अपनी जमा पुंजी में से खर्च किया गया जिस कारण समाज एवं परिवार द्वारा वादी के भाई लाला की कृषि भूमि को वादी को उपयोग उपभोग करने हेतु दिया गया, तभी से वादी काबिज हो कास्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 कालीबाई उसके पति वादी के भाई लाला के जीवनकाल में हीं जगत निवासी केसुलाल गमेती के यहां पर नाता चली गई जिससे उसका वादी के भाई लाला के खातेदारी कृषि भूमि में कोई विधिक अधिकार नहीं रहा। प्रतिवादी संख्या 3 चुंकी लाला की पत्नि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ जगत निवासी केसुलाल गमेती के यहां पर अपनी माता प्रतिवादी संख्या 2 कालीबाई के साथ गई और वहां से वादी द्वारा 6 वर्ष की आयु में लाला की पुत्री होने के कारण जगत से पुनः वादी झगडा लेकर के आया तो उसके बाद चुंकी लाला के कुछ समय पश्चात् गंभीर बिमारी के कारण मृत्यु हो चुंकी थी तो प्रतिवादी संख्या 3 का भरण–पौषण वादी द्वारा ही किया गया एवं वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 का विवाह 19 वर्ष की अवस्था में करवाया गया एंव जिसका सम्पूर्ण खर्च वादी द्वारा ही वहन किया गया। वादी द्वारा माननीय न्यायालय में उपरोक्त वाद पात्र में वर्णित कृषि भूमि में सहखातेदार होने के कारण धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिस कारण वादी द्वारा अपने हिस्से का बंटवारा करवाने, अपने हक हिस्से की घोषणा करवाने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1,2,3 एवं 4 द्वारा मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर बिना पुष्टि किये हुए वाद वर्णित कृषि भूमि का पंजीयन करवाया गया है, जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, उक्त पंजीयन से वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध कॉज आफ एक्शन पैदा हुआ है, जिससे यह वाद माननीय न्यायालय में चलने योग्य है। अंत में निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. सव्यय खारीज फरमाया जावें एव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये का खर्चा दिलाया जावें।

10. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

12. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 110 पर दर्ज आराजी नम्बर 15, 16, 17, 18, 19, 21 किता 6 कुल रकबा 0.8742 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 107 पर दर्ज आराजी नम्बर 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 किता 14 कुल रकबा 2.9138 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता लाला के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रिकॉर्ड थी। विरासत के नामान्तकरण संख्या 553 दिनांक 30.06.2018 से प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 2, 3 [illegible] वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का विक्रय कर देने से नामान्तरकरण संख्या [illegible]7 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादग्रस्त भूमि में हिस्सेनुसार दर्ज हुआ है। वादी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि उसके भाई के नाम दर्ज थी। उसके भाई की पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 अपनी पुत्री प्रतिवादी संख्या 3 को लेकर किसी अन्य व्यक्ति के नाते चले जाने से उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2, 3 का कोई हक हिस्सा निहित नही रहा। उसके पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 2, 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया गया। न्यायालय वादी के इस कथन से संतुष्ट नही है। क्योंकि वादी स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि उसके भाई खातेदार लाला के वारिस प्रतिवादी संख्या 2, 3 थे। जिन्हे अपने सजरे में भी दर्शाया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि किसी खातेदार की मृत्यु के पश्चात उसके नाम दर्ज खातेदारी हक की भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत विरासत से उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज होगी। खातेदार लाला की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 उसकी पत्नी एवं प्रतिवादी 3 उसकी पुत्री ही प्रथम श्रेणी की वारिस थी। जो वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वादी द्वारा बताए गए सजरे एवं विरासत के नामान्तकरण से प्रमाणित हो रहा है। इसी कारण विरासत के आधार पर उसकी पत्नी एवं पुत्री के नाम दर्ज हो गई। वादी द्वितीय श्रेणी का वारिस है। मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान के जीवित रहते हुए द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम भूमि दर्ज नही की जा सकती है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या मृतक खातेदार लाला की पत्नी गोद चली गई है इस कारण से उसके अधिकार वादग्रस्त भूमि में स्वतः ही निरस्त हो चुके है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

आरआरडी 2018 पेज नम्बर 378

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 224 अपीलान्ट/वादी ने विचारण न्यायालय में मृतक भाई के हिस्से की भूमि पर कब्जे एवं वसीयत के आधार पर खातेदारी वाद दायर किया–वाद में मृतक की विधवा के पुनर्विवाह होने से उसका हक समाप्त होने का तर्क भी दिया गया–न्यायालय ने वाद खारिज किया–अपीलीय न्यायालय ने भी अपील खारिज की–मंडल में द्वितीय अपील–मंडल में एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 दीवानी संहिता का प्रस्तुत हुआ जिसे स्वीकार किया–अभिनिर्धारित–वादी/अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड के अंकन के विरुद्ध 23 वर्ष बाद खातेदारी का वाद दायर किया–विलम्ब का कोई तर्कसम्मत कारण भी अंकित नहीं किया–हिन्दू विधवा द्वारा पुनर्विवाह कर लेने से मृतक पति की सम्पत्ति में प्राप्त हक व अधिकार समाप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होते है– अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती व विधिसम्मत–द्वितीय अपील सारहीन ।

R.B.J. 2017 Page-527

HINDU SUCCESSION ACT, 1956

Section 8 Widow is successor of first category in the property of her deceased husband - She becomes absolute owner of the property subsequent re-marriage by widow does not divest her from property of deceased husband.

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि पुनर्विवाह अथवा नाता कर भी लिया है तो मृतक पति की सम्पत्ति में प्राप्त हक व अधिकार पुनर्विवाह से समाप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के वारिसान के जीवित रहते हुए वादी जो द्वितीय श्रेणी का वारिस है द्वारा घोषणा चाही गई है। जो कि न्यायोचित नही है। इस प्रकार वादी द्वारा विधि के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है।

वादी का यह भी कथन है कि मृतक खातेदार लाला की भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है उस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा नही होकर वादी का कब्जा है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने के कोई प्रावधान नही है एवं सहखातेदारी की भूमि पर प्रतिकुल कब्जा माना भी नही जा सकता है।

वादी द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 7 में वादकारण केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उत्पन्न होना बताया है अर्थात अन्य सहखातेदार के विरूद्ध वादी का कोई वादकारण उत्पन्न होना जाहीर नही होता है। ना ही वादपत्र में वादी द्वारा ऐसा कोई कथन किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो की वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़े हेतु वादी द्वारा किसी भी सहखातेदार को कहा हो। जब स्वयं वादी द्वारा ही किसी खातेदार को बंटवाड़े का निवेदन नही किया तो ऐसी स्थिति में बंटवाड़े संबंधी कोई वादकारण ही उत्पन्न नही होता है। ऐसे में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण ही पैदा नहीं होता हैं। तदनुसार आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज से ही प्रकरण का निर्णय किया जाना हो तो भी वादी का वाद ऐसा कोई वाद हेतुक प्रकट नही करता है, जिससे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी का हक प्रकट होता हो। वादी केवल मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण को जारी रखकर प्रतिवादीगण की भूमि को विवादित रखना चाहते है। जिससे प्रतिवादीगण/खातेदारो के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ सके।

न्यायालय का यह भी अभिमत है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 सद्भावी क्रेता है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु वादी द्वारा कोई वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया हो ऐसा कोई दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। इस कारण से भी वादी का वाद बार्ड बॉय लॉ पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन, वादी स्वयं के कथनो एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादपत्र के बरूऐ ही वादी का वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नही करने तथा वादी का वाद बार्ड बॉय लॉ पाये जाने से प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़े संबंधी भविष्य में कोई वादकारण उत्पन्न होता है तो वादी विभाजन का वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मोता पिता श्री रता जाति भील, आयु 42 वर्ष, निवासी विकरणी, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. श्री भानु भील पिता श्री खुमा भील, जाति भील आयु वयस्क, निवासी खादरा तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती कालीबाई उर्फ कालीदेवी पत्नी स्वर्गीय श्री लाला जाति मील, आयु वयस्क, निवासी धोलाखुंटा, तहसील मावलीर, जिला–उदयपुर (राज०)
3. नर्बदा पुत्री स्वर्गीय श्री लाला, जाति भील, पत्नी श्री सुरेश भील, आयु वयस्क, निवासी खादरा तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री कैलाश गमेती पिता श्री हरिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी बगावतों की भागल छोटी सरे चीरवा उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री किशन पिता श्री लच्छीया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी विकरणी विजनवास, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
6. गीता पुत्री लच्छीया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी निवासी खादरा तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
7. नोजकीबाई उर्फ नोजी पुत्री श्री गेरीया उर्फ गमानिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी बेरण तहसील नाथद्वारा, जिला–राजसमंद (राज०)
8. श्री पप्पुलाल पिता श्री लच्छीया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी विकरणी तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
9. श्री पुष्कर पिता श्री हीरालाल जाति भील, आयु वयस्क, निवासी विकरणी, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
10. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री हमेरा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी बरवा विकरणी, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
11. मथरूबाई पुत्री श्री गेरीया उर्फ गमाना जाति भील, आयु वयस्क, निवासी रायजी का गुड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
12. श्रीमती मांगीबाई पत्नी श्री हीरालाल जाति भील, आयु वयस्क, निवासी खेमली स्टेशन, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
13. श्री मांगीलाल पिता श्री लच्छीया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी विकरणी तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
14. श्री मिठुलाल पिता श्री गेरीया उर्फ गमाना जाति भील, आयु वयस्क, निवासी विकरणी, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
15. रूपाबाई पुत्र श्री गेरीया उर्फ गमाना जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पलानाखुर्द, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested

16. लेरकीबाई पुत्री श्री गेरीया उर्फ गमाना जाति भील, आयु वयस्क, निवासी रायजी का गुड़ा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
17. श्री वागा पिता श्री भगा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी ढिंकली तहसील बड़गाँव, जिला–उदयपुर (राज०)
18. हेमलीबाई पुत्री श्री गेरीया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी बेरण, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
19. केसर पुत्री श्री वेणा जाति भील, आयु वयस्क, निवासी घंटाघर उदयपुर, जिला–उदयपुर (राज०)
20. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिघारी) घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 166/25 (वाद) GCMS No. : 2025/345

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़े संबंधी भविष्य में कोई वादकारण उत्पन्न होता है तो वादी विभाजन का वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:49 IST
Reason: SelfAttested